732

संख्या– /1–10–2012–12(34)/2003(टी0सी0) I I I

प्रेषक,

केओकेओ सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी/लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः 31 मार्च, 2012

विषयः–वर्ष 2011–12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या–32–34/2007–एन0डी0एम0आई0 दिनांक 24 जून, 2007 द्वारा जारी भारत सरकार की गाईड लाइन्स के आईटम 16 के प्रावधान "Provision for temporary Accomodation, Food, Clothing Medical care etc. of people affected" के अनुरूप गृहविहीन/निराश्रित/ असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु उपयोग/व्यय की गयी अतिरिक्त धनराशि के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 7,67,414/–(रुपये सात लाख सरसठ हजार चार सौ चौदह मात्र) संबंधित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

जनपद का नाम	संदर्भ	अब तक स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि (रू0 में)
बाराबंकी	3412/आपदा राहत/2011–12 दिनांक 23.3.2012	शा0सं–4260/1–10–2011–12(34)/2003(टी0सी0) दिनांक 17.11.2011 द्वारा रू0 6,00,000/– एवं शा0सं–4566/1–10–2011–12(34)/2003(टी0सी0) I I दिनांक 17.11.2011 द्वारा रू0 6,50,000/– कुल रू0 12,50,000/–	3,00,000/-
लखनऊ	197/सी0आर0ए0(आपदा)/शीत लहरी/ दिनांक 22.3.2012	शा0सं–4260/1–10–2011–12(34)/2003(टी0सी0) दिनांक 17.11.2011 द्वारा रू0 4,00,000/– शा0सं–4566/1–10–2011–12(34)/2003(टी0सी0) I I दिनांक 17.11.2011 द्वारा रू0 5,00,000/– एवं शा0सं–4624/1–10–2011–12(34)/2003(टी0सी0) दिनांक 19.12.2011 द्वारा रू0 10,00,000/– कुल रू0 19,00,000/–	4,67,414/-
	कुल योग		7,67,414/-

2– व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र प्रयुक्त स्थल, दिन की संख्या, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक

424 Awantan Yadav Ji

विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–राज्य आपदा मोचक निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

4– यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1– 11–2007–46/96, दिनांक 31 जुलाई 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया गया है तथा इस धनराशि का उपयोग किसी भी विभागीय कार्य हेतु नहीं किया गया है।

5– आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 31.03.2012 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट **www.rahat.up.nic. in/rahat.2.html** पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हो उन्हें दिनांक 31 मार्च 2012 से पूर्व शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

6– आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7– व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

14.1.2012

(के0के0 सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या–732(1)/1–10–2012–12(34)/2003(टी0सी0)।।। तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महोलखाकार(लेखा)/महालेखाकार(आडिट)प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– मण्डलायुक्त, फैजाबाद/लखनऊ।

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी।

5– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5

6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय।

7– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/3/12

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव।

425 Awantan Yadav Ji